

प्रेषक:-

सहायक अभियन्ता-प्रथम
नरौरा खण्ड निचली गंगा नहर
अलीगढ़ ।

सेवामें,

सूचना निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक:- /स0अ0-1/नीलामी/2018-19/ दिनांक:- 2018 ।

विषय:-नीलामी सूचना 2018-19 के प्रकाशन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

इस कार्यालय की नीलामी सूचना 2018-19 की 06 प्रतियों एवं सी0डी0 संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि इनके विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु इस नीलामी सूचना को उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख समाचार पत्रों में एक-एक दिन के अन्तराल से एक बार प्रकाशित कराने की व्यवस्था करे ।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(जुल्फिकार)


सहायक अभियन्ता

पत्रांक:- 748 /स0अ0-1/नीलामी/2018-19/ दिनांक:- 27/11/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को नीलामी सूचना 2018-19 की प्रति संलग्नकर

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-अधीक्षण अभियन्ता,कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश,लखनऊ को सी0 डी0 सहित विभागीय वेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 2-अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्यमण्डल,अलीगढ़ ।
- 3-जिलाधिकारी अलीगढ़/बुलन्दशहर/सम्भल ।
- 4-जिला सूचनाधिकारी, अलीगढ़/बुलन्दशहर/सम्भल ।
- 5-अधिशायी अभियन्ता, नरौरा खण्ड निचली गंगा नहर अलीगढ़ ।
- 6-सहायक अभियन्ता द्वितीय (अलीगढ़)/तृतीय (कासगंज),नरौरा खण्ड निचली गंगा नहर अलीगढ़ ।
- 7-जिलेदार,नरौरा खण्ड निचली गंगा नहर,अलीगढ़ ।
- 8-श्री शिवकुमार सिंह,सींचपाल एवं श्री श्रेवस्तीयनखलखो,सींचपाल को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।
- 9-नोटिस बोर्ड हेतु ।



(जुल्फिकार)

सहायक अभियन्ता

कार्यालय सहायक अभियन्ता-प्रथम
नरौरा खण्ड निचली गंगा नहर
अलीगढ़
नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक. 22.10.2018 को कार्यालय परिसर में नीलामी आयोजित की गई जिसमें शीश महल रेस्टोरेन्ट एवं टूरिस्ट परिसर की नीलामी उचित बोली प्राप्त न होने के कारण पुनः दिनांक 07.12.2018 को कार्यालय परिसर में नीलामी आयोजित की जायेगी ।

क्र० सं०	मौके का विवरण	अवधि	धरोहर धनराशि	नीलामी का दिनांक व समय	स्थान नीलामी
1	2	3	4	5	6
1-	शीश महल रेस्टोरेन्ट एवं टूरिस्ट परिसर	नीलाम की दिनांक से 30.11..2019 तक	10000.00	07.12.2018 व समय:- 10.00 बजे	कार्यालयसहायकअभियन्ता -द्वितीय अलीगढ़ नरौरा खण्ड निचली गंगा नहर 25 लाल डिग्गी अलीगढ़

शर्त:-

- 1-बिना धरोहर धनराशि के कोई भी बोली दाता नीलामी में भाग नहीं ले सकेगा ।
- 2-बोली समाप्ति पर उच्चतम बोली दाता को बोली की धनराशि तुरन्त नगद जमा करनी होगी अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।
- 3-बोली स्वीकृति के उपरान्त नियमानुसार देय स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा ।
- 4-नीलामी की अन्य शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है,शर्तों को संज्ञान में लेकर बोली में भाग लिया जाना है ।
- 5-बिना कोई कारण बताये नीलामी को निरस्त करने का अधिकार अधिशासी अभियन्ता को होगा ।

सहायक अभियन्ता-प्रथम
नरौरा खण्ड निचली गंगा नहर
अलीगढ़